

प्रेषक,
प्रशान्त शर्मा
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,
निदेशक
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
लखनऊ

दिनांक: 24-06-2024

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

विषय: उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के प्रस्तर-4.3 में संशोधन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6513/यूपीनेडा/जै0ऊ0नीति-2022/भू0चि0/2023 दिनांक 13 मार्च, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति - 2022 के प्रस्तर 4.3 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के प्रस्तर-4.3 में निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति- 2022 के प्रस्तर-4.3 में निहित प्राविधान	संशोधित प्राविधान
(4.3) जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले डेवलपमेन्ट चार्ज से शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।	(4.3) जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रदेश के विकास प्राधिकरणों / जिला पंचायतों / औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले डेवलपमेन्ट चार्ज शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

3- उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति -2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

Signed by
Prashant Sharma
Date: 24-06-2024 18:05:04

भवदीय,


संख्या: 397 (1)/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024 एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद उ0प्र0
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन
5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन
6. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन
7. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन
8. अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनवेस्ट यू0पी0
10. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
11. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0
12. निदेशक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

— 14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव